तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज शांति देवी वगै बनाम किसनलाल आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर – 208/2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

29.09.2023

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं राज पैरोकार उपस्थित । वकील अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब बन्द किया जा चुका हैं। बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण संख्या 1ता7 के नाम से चक 258–030 आरडी आर के मु0नं0 69/10 के कि0नं0 16 मे 1.0 बीघा कमांड, कि0नं0 24 मे 1.0 बीघा कमांड, कि0नं0 25 मे 1.0 बीघा कमांड कुल 3.0 बीघा कमांड व मु0नं0 69/18 के कि0नं0 11 मे 1.0 बीघा कमांड, कि0नं0 12 मे 1.0 बीघा कमांड, कि0नं0 19ता22 मे 4.0 बीघा कमांड कुल 6.0 बीघा कमांड कुल तादादी 9.0 बीघा कमांड जिसमे प्रार्थी संख्या 1ता5 का 5/6 हिस्सा व 6,7 का 1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है व प्रार्थी संख्या 8 के नाम चक 258–030 आरडी आर के मु0नं0 59/10 के कि0नं0 11 मे 1.0 बीघा कमांड , कि0नं0 20/1 मे 10 बिस्वा कमांड, कि0नं0 21/1 मे 10 बिस्वा अनकमांड कुल 2.0 बीघा कमांड/अनकमांड व मु0नं0 69/19 के कि0नं0 1,2 मे 2.0 बीघा कमांड कि0नं0 8,9 मे 2.0 बीघा कमांड व कि0नं0 11,12 मे 2.0 बीघा कमांड कुल 6.0 बीघा कमाड कुल तादादी 8.0 बीघा कमांड/अनकमांड दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी संख्या 1ता7 को मु0नं0 69/18 के कि0नं0 11,12,19ता22 मे आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है व ना ही नजदीक मे अन्य कोई सुविधा का रास्ता है व ना ही नजदीक में अन्य कोई सुविधा का रास्ता है व प्रार्थी संख्या 8 के मु0नं0 69/19 की खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिए कोई कटानी रास्ता नहीं है। जिसके कारण प्रार्थी अपनी भूमि मे आ–जा नहीं सकते। मु0नं0 69/17 के कि0नं0 21ता25 पूर्व से पश्चिम कटानी रास्ता है प्रार्थीगण के नजदीक मे कटानी रास्ता यही है। इसलिये प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 के मु0नं0 69/18 के कि0नं0 1 व 10 मे 2–2 बिस्वा रास्ता उत्तर से दक्षिण कटवाना चाहते है व प्रार्थीगण संख्या 1ता7 के मु0नं0 69/18 कि0नं0 11,20,21 मे भी उत्तर से दक्षिण 02–02 बिस्वा रास्ता कटानी करवाना चाहते है जिससे प्रार्थी संख्या 08 अपनी भूमि मे आ–जा सकते हैं। प्रार्थीसंख्या 1ता7 मु0नं0 69/18 के कि0नं0 1 व 10 मे रास्ता मे जो भी भूमि आएगी उसके बदले अप्रार्थी को नियमानुसार न्यायालय के आदेषानुसार पालना करने को तैयार है। प्रार्थी 8 किला नम्बर 11,20,21 की भूमि मे 06 बिस्वा भूमि के बदले न्यायालय जो भी आदेष देगा उसकी पालना के लिये तैयार रहेगा। प्रार्थी संख्या 1 ता 8 के इस रास्ते के अलावा और कोई आने–जाने के लिये नजदीकी कटानी रास्ता नहीं है जिसके कारण प्रार्थीगण अपनी भूमि मे आ जा नही सकते हैं। प्रार्थीगण के नजदीक मे मु0नं0 69/17 के कि0नं0 21 मे जो की स्वीकृत रास्ता है। अतः प्रार्थीगण को अपने खेत तक पहुंचने हेतु चक 258–030 आरडीआर के मु0नं0 69/18 के कि0नं0 1,10,11,20,21 मे उत्तर से दक्षिण पश्चिम दिशा मे 02–02 बिस्वा कानूनी काटा जावे। जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि मे आ जा सके। अतः रास्ता स्वीकृत हेतु प्रार्थीगण वकील द्वारा निवेदन किया गया । राज पैरोकार द्वारा जरिये रिपोर्ट निवेदन किया गया की चक 258–030 आरडीआर के मु0नं0 69/10 के कि0नं0 16,24,25कुल 3.0 बीघा कमांड एवं मु0नं0 69/18 के कि0नं0 11,12,19ता22 कुल 6.0 बीघा कमांड कुल तादादी 9.0 बीघा कमांड भूमि प्रार्थीगण के नाम से है प्रार्थीगण के मु0नं0 69/17 मे दर्ज रिकॉर्ड रास्ता से मु0नं0 69/18 के कि0नं0 1,10 मे उत्तर से दक्षिण पश्चिम दिशा मे सींव के सहारे 02–02 बिस्वा कटानी रास्ता करवाना चाहते है चुंकि कि0नं0 11 प्रार्थीगण स्वयं की भूमि है मु0नं0 69/18 के कि0नं0 1ता5 मे मौका पर खाला निर्मित है एवं कि0नं 1,10 मे उत्तर से दक्षिण पश्चिम दिशा उक्त प्रस्तावित रास्ता मे बबूल व झाड झंखाड मौका पर मौजूद है यदि उक्त बबूल व झाड झंखाड को हटा कर पक्के खाले पर पुलिया निर्मित कर किला नम्बर 11 मे प्रवेश हेतु प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध करवाया जावे तो उक्त रास्ता नजदीक उपयुक्त एवं सुलभ होगा की रिपोर्ट की गई है।

हमने बहस का मनन किया । पत्रावली शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया । पत्रावली में शामिल जमाबन्दी गांव चक 258–030 आरडी आर संवत् 2071 एवं नकल नक्शा एवं तहसीलदार लूनकरनसर रिपोर्ट का अवलोकन किया । उपरोक्त बहस एवं रिकॉर्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी संख्या 1ता7 को मु0नं0 69/18 के कि0नं0 11,12,19ता22 मे आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है व ना ही नजदीक मे अन्य कोई सुविधा का रास्ता है व ना ही नजदीक में अन्य कोई सुविधा का रास्ता है व प्रार्थी संख्या 8 के मु0नं0 69/19 की खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिए कोई कटानी रास्ता नहीं है। अतः मुताबिक रिपोर्ट एवं प्रस्तुत बहस एवं पत्रावली शामिल दस्तावेज चक 258–030 आरडीआर के मु0नं0 69/18 के कि0नं0 1,10,11,20,21 मे उत्तर से दक्षिण पश्चिम दिशा मे 02–02 बिस्वा रास्ता निकटतम हैं जो उचित प्रतीत होता हैं। प्रस्तुत बहस एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर को फैसले की प्रमाणित प्रति भेज निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि पर उक्तानुसार स्वीकृत रास्ता नियमानुसार वर्तमान डीएलसी दर से भुगतान होने पर रिकॉर्ड में अंकन कर मौके पर रास्ता की निशानदेही करावें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर